यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की** के माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2020 से 24.08.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आर॰एन॰ यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी॰पी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 28.07.2019 से 02.08.2019 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 08/2018 से 06/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, रुड़की प्रशासनिक कार्यालय है। इसके अंतर्गत जनपद हरिद्वार के अंतर्गत 04 खंड हैं जो कि निम्नवत है:- नलकूप खंड, रुड़की, नलकूप खंड, हरिद्वार, स्थापना खंड, रुड़की एवं सिंचाई कार्यशाला रुड़की ।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	10.95	9.19	-	-	-	1.76
2019-20	-	-	2.13	1.31	-	-	-	0.82
2020-21 (till 07/2020)	-	-	1.25	0.16	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	शून्य					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

-- प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

-- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

-- मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (यांत्रिक), सिंचाई विभाग

-- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल

-- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1: - अप्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल (सिंचाई विभाग) रुड़की, हरिद्वार के प्रशासनिक नियंत्रण में सिंचाई विभाग के चार खंड[1] है। लेखा परीक्षा द्वारा नलकूप मण्डल में शिकायत संबंधी अभिलेखो (पत्रावली) की जांच (अगस्त 2020) में पाया कि अधीनस्थ खंडो में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यापक पैमाने में शिकायते प्राप्त हुई थी जिसका त्वरित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मण्डल स्तर पर माह जुलाई 2019 से लेखा परीक्षा तिथि तक कुल 221 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष मात्र 07 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। शिकायतों की नमूना जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आयें।

1- श्री इलाम चंद पुत्र स्व॰ श्री रिसाल सिंह द्वारा नलकूप मण्डल में शिकायत (नवम्बर 2018) की गयी कि उसके द्वारा नलकूप खंड, हरिद्वार में कार्यदेश संख्या-33/4819/ दिनांक 20/01/2017 के सापेक्ष नलकूप संख्या-140/एल॰ जी॰ में पाइप बिछाने का कार्य किया गया था किन्तु संबन्धित खंड द्वारा कार्यदेश में शिकायतकर्ता के नाम को काटकर उसे भुगतान न करके अन्य ठेकेदार (सरफराज) को ₹ 2,86,550.00 भुगतान कर दिया गया। लेखा परीक्षा में आगे पाया कि मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु बारम्बार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी नलकूप मंडल कार्यालय द्वारा 12/07/2019 को अस्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत की गयी अंततः मुख्य अभियंता द्वारा आदेश निर्गत (18/11/2019) किया गया कि कार्यदेश संख्या 33/4819 की धनराशि `286550.00 जो दूसरे ठेकेदार को की गयी थी की वसूली सहायक अभियंता/ठेकेदार से रिकवर कर श्री इलम सिंह को भुगतान किया जाए।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मण्डल कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य ठेकेदार को किए गए भुगतान की राशि की वसूली कर मूल ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है तथा संबन्धित अभियंता के समस्त वित्तीय अधिकारो पर रोक लगाए जाने की संस्तुति उच्चाधिकारिओ को की गयी है। मण्डल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय कार्मिक द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता/फर्जीवाड़े की शिकायत के लगभग डेढ़ वर्ष बाद उच्चाधिकारियों के दखल के बाद मूल ठेकेदार को भुगतान के संबंध में अवगत कराया गया है किन्तु समायोजन संबंधी कोई वाउचर लेखा परीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया है।

2- वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी योजना हेतु स्वीकृत लागत से आधिक राशि की आवश्यकता हो तो शासन से पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है इस हेतु अधीक्षण अभियंता उत्तरदायी है जैसा कि Para No 72[2] of FHB/Vol-VI में प्रावधानित है। नलकूप मण्डल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि मण्डल के अधीनस्थ खंड नलकूप खंड रुड़की में नाबार्ड 17 & 20 योजना हेतु कुल ₹ 109.27 करोड़ की स्वीकृति की प्राप्त थी। संबन्धित खंड द्वारा नाबार्ड 17 & 20 का कार्य क्रमशः जुलाई 2016 और जून 2018 में पूर्ण किया गया था किन्तु उपरोक्त दोनों योजनाओ के सापेक्ष उपलब्ध बजट की समाप्ति के उपरांत

[1] नलकूप खंड, रुड़की और हरिद्वार, स्थापना खंड (Erection Division) रुड़की, उद्योगशाला खंड (Workshop Division) रुड़की।

[2] It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub –heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority.

कुल ₹5242720.00 (नाबार्ड -17/ ₹3839464.00 & नाबार्ड -20/ ₹1403256.00) के बीजको का भुगतान अभी लंबित है जिसे संबन्धित खंड द्वारा Maintanience & Repair मद से किया जाना प्रावधानित/प्रस्तावित किया गया है जिसे मण्डल कार्यालय द्वारा भी न्यायोचित ठहराया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मण्डल कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों योजनाएँ गठन के एक वर्ष से अधिक समय के बाद स्वीकृत हुई थी एवं योजनाओ के निर्माण अवधि तीन वर्षो में अवमूल्यन के कारण योजनाओ की लागत में वृद्धि हो जाने से स्वीकृत बजट में कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं समयांतर्गत योजना के प्रथम वर्ष में अवमूल्यन का आकलन न हो पाने के कारण मांग नहीं की जा सकी व प्रथम वर्ष के उपरांत मांग नाबार्ड द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है अतः शासन से धनराशि की मांग तत्समय नही की जा सकी।

मण्डल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के विरुद्ध है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नलकूप मण्डल में प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन का अभाव है।

STAN

प्रस्तर 1: रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/xxvii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों-यथा 11-सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, रुड़की की लेखा परीक्षा अवधि 07/2019 से 07/2020 से संबन्धित मांगें गए व्यय विवरणों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इकाई द्वारा लेन देनों के लिए आवश्यक रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी, जो कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। कार्यालय द्वारा रोकड़ बही नहीं बनाए जाने के कारण चयनित माह 12/2019 में किए गए व्यय के सापेक्ष BM- 5 एवं 11-C पंजिका की ही जांच की जा सकी। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा BM- 5 को भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कराया जा रहा था। रोकड़ बही एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिससे कार्यालय में होने वाले समस्त दैनिक संव्यवहार का विवरण दर्ज किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि चयनित माह में किए गए भुगतान GPF से संबन्धित है जिसका विवरण 11-C पंजिका में अंकित है। यह उत्तर मान्य नहीं है प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित एवं संवितरित की गई धनराशियों के विवरण रोकड़ बही में दर्ज किए जाते हैं। अतः इकाई द्वारा रोकड़ बही नहीं बनाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
41/2018-19	--	01	---
35/2019-20	--	01,02	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र॰ सं॰	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री नरेंद्र कुमार यादव	अधीक्षण अभियंता	15.09.16 से 30.11.2019 तक
2.	श्री आर. एस. शर्मा	अधीक्षण अभियंता	07.12.2019 से 03.04.2020 तक
3.	श्री पी. के. वर्मा	अधीक्षण अभियंता	03.04.2020 से 30.07.2020 तक
4.	श्री संजय कुशवाहा	अधीक्षण अभियंता	31.07.2020 से वर्तमान तक

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़,-248195 देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी॰ - I